पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।।

दिनांक 30-11-2022

दिनांक 29/30-11-2022 को रात्रि थाना दुबग्गा 01, थाना इन्दिरानगर 02, थाना मड़ियांव 02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी 01, अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना आलमबाग 01, थाना इन्दिरानगर 01, थाना जानकीपुरम 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना आशियाना- दिनांक 30.11.2022 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी श्री रत्नेश पुत्र श्री राम अवध राम निवासी ग्राम मुसेफर पलिया पोस्ट सचुई चिरैयाकोट जनपद मऊ हाल पता- 570/465 विराट नगर पकरी थाना आलमबाग लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि दिनांक 29.11.2022 को वादी के पिता श्री राम अवध राम उम्र 58 वर्ष पुत्र स्व0 विश्वनाथ यादव निवासी 570/465 विराट नगर पकरी थाना आलमबाग लखनऊ सुबह करीब 5:00 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे जो 9:00 बजे तक नहीं आए तब वादी के द्वारा खोजा गया तो ज्ञात हुआ कि बंग्ला पुल के आगे पीडब्ल्यूडी के सामुदायिक केंद्र प्रथम के लगभग 100 मीटर दूरी पर एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिताजी को टक्कर मार दी जिससे वादी के पिता राम अवध राम उम्र 58 वर्ष को काफी गंभीर चोटें आई । जिन्हें इलाज हेतु बलरामपुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0-549/2022 धारा- 279/304 ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना इटौंजा-दिनांक 30.11.2022 को थाना इटौंजा द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती प्रेमा पत्नी राम प्रसाद रावत निवासिनी ग्राम करौंदी थाना इटौंजा लखनऊ द्वारा थाना इटौंजा पर सूचना दी गई कि वादिनी के पड़ोसी रामप्रताप पुत्र रेवती और राम प्रसाद की पत्नी व राम प्रताप के दो भाई राजेश व राजाराम, राजेश का पुत्र रवि, राजाराम का पुत्र अरविंद, राम प्रताप का पुत्र वीरू ने मिलकर दिनांक 27.11.2022 को समय करीब 7:00 बजे वादिनी के घर के बाहर वादिनी की जमीन पर कब्जा कर रहे थे वादिनी के मना करने पर गंदी-गंदी गालियां देने लगे जब वादिनी ने इसका विरोध किया तब इन लोगों ने घर में घुसकर बाद वादिनी के पति राम प्रसाद व वादिनी की बेटी नंदिनी व वादिनी की बहू को बुरी तरीके से डंडे व लाठी से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। **इस सूचना पर थाना इटौंजा पर मु0अ0सं0- 366/2022 धारा- 147/323/504/506/452 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**